रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1987/कार्तिक 30, 1909

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1987/KARTIKA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 857.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8-ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, दिल्ली से संबंधित क्रम सं. 15 के सामने—

(1) स्तम्भ 2 में उच्च न्यायालय से संबंधित मद (क) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(4) श्री के.डी. सिंह,
उपविधि सलाहकार।

"(5) श्री सत्यदेव सिंह,
केन्द्रीय सरकार का कनिष्ठ अधिवक्ता।",

(2) स्तम्भ (2) में, अन्य न्यायालय से संबंधित मद (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) श्री के.डी. सिंह
उप विधि सलाहकार

(6) श्री सत्यदेव सिंह,
केन्द्रीय सरकार का कनिष्ठ अधिवक्ता।"

[फा.सं. 23(6)/87-न्या.]

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 द्वारा जारी की गई थी

New Delhi, the 29th October 1987

G.S.R. 866.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Water and Power Research Station, Pune (Junior Book Binder) Recruitment Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune (Junior Book Binder) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water and Power Research Station, Pune (Junior Book Binder) Recruitment Rules, 1984,—

(A) For rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions reuired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.";

(B) In the Schedule,—

(i) for the entry under column 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 950-20-1150-EB-25-1400." ;

(ii) for the entry under column 9, the following entry shall be substituted, namel :—

"Two years for direct recruits." ;

(iii) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion/Transfer on Deputation ;

(1) Officers of the Central Government holding analogous posts or posts in scale of Rs. 800—1150/825—1200 with 5/3 years' regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience as laid down under column 7 of the Schedule.

(2) The departmental Helper Grade I with 3 years' regular service and having three years' experience of high class book binding will also be considered alongwith candidates for appointment on deputation and in case he is selected for appointment, the post will be deemed to have been filled by promotion.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation, including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this apppointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years).".

[No. 13/87 F. No. 2/32/87-E-II]
V. K. SADHU, Under Secy.

The Principal rules were published vide GSR 1200 dated 1st December, 1984.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 867.—तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1987 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10. लाइसेंस का क्षेत्र और उसकी शर्तें : लाइसेंस द्वारा कवर किये जाने वाले क्षेत्र को इसमें निर्दिष्ट किया जाएगा और आरम्भ में लाइसेंस 4 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।"

[संख्या ओ-11011/3/87-ओ एन जी/डी-4]
बी. एस. लाम्बा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 29th September, 1987

G.S.R. 867.—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 ; namely :—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. For rule 10 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the following shall be substituted, namely :—

"10. Area and Terms of licence : The area covered by licence shall be specified therein and the licence shall in the first instance be valid for a period of four years, which may be extended for two further periods of one year each."

[No. O 11011/3/87-ONG-D.4]
B. S. LAMBA, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1987

सा. का. नि. 868.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 7 के उपनियम (2) में, खंड (क) को खंड "(क) (i)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः

संख्यांकित खंड "(क) (1)" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) (ii) खंड (क) (i) में अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, नियंत्रण प्राधिकारी, परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के कम पड़ जाने की दशा में, कनिष्ठ वेतनमान की रिक्तियां आयोग द्वारा विनिश्चित की जाने वाली भर्ती की किसी भी रीति से आयोग के माध्यम से भर सकेगा और यदि भर्ती विशेष परीक्षा करके या साक्षात्कार द्वारा चयन करके सीधी भर्ती द्वारा की जाती है तो ऐसी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा वे होंगी, जो अनुसूची II-क में विनिर्दिष्ट की गई हैं।"

3. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3(क) नियम 7 के उपनियम (2) (क) (1) और नियम (2) (क) (ii) के अधीन सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की बाबत, परीक्षा/विशेष परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख और सीधी भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की बाबत, अभ्यर्थियों की सिफारिश करने वाले आयोग के पत्र की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची 2क

(नियम 7 का उप नियम 2(क) (ii) देखिए)

1. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित कनिष्ठ वेतनमान में समूह "क" में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा।

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :—

आवश्यक :

1. निम्नलिखित से विद्युत्/विद्युत् इंजीनियरी में कोई उपाधि :—

(1) भारत में केन्द्रीय/राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा सम्मिलिति कोई विश्वविद्यालय, या

(2) कोई शैक्षिक संस्थान जिसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाना घोषित किया गया है, या

(3) जिसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं, जिन्हें परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, या

(4) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं से और ऐसी शर्तों के अधीन इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा, जिसे इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जा सकेगी।

वांछनीय :

उक्त क्षेत्र में 2 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

आयु सीमा

35 वर्ष से अनधिक।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में के अभ्यर्थियों से उनसे भिन्न, जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं, आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।"

टिप्पण—मूल नियम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 301/1/81-बी (डी) (सा. का. नि. 578 (अ), तारीख 4-11-1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(1), तारीख 5-11-1981 में प्रकाशित किए गए थे और उनका बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3(1), में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-बी (डी), सा. का. नि. 573(अ), तारीख 13-9-1982

(2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/14/85-बी (डी) सा. का. नि. 726, तारीख 6-9-1986।

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 2/4/86-एस-3/बी (डी), सा. का. नि. 774, तारीख 17-10-87।

[सं. 310/39/86-बी (डी)]
बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st October, 1987

G.S.R. 868.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Second Amendment), Rules, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Enigeers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 7, clause (a) shall be renumbered as clause "(a)(i)" and after clause "(a)(i)" as so renumbered, the following shall be inserted, namely :—

"(a)(ii) Notwithstanding anything contained in clause (a)(i), the controlling authority may, in the event of

a short-fall of candidates through the examination, fill the vacancies in the junior scale through the Commission through any mode of recruitment to be decided by the Commission and in case the recruitment is made by direct recruitment either by holding special examination or by selection by interview, the educational qualifications and the age limit for such recruitment shall be as specified in Schedule-II A."

3. In rule 8 of the said rules after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely :—

"(3A) The seniority of persons recruited to the service under sub-rule (2)(a)(i) and sub-rule (2)(a)(ii) of the Rule 7, inter se seniority shall be determined with reference to the date of publication of the results of the examination/special examination, in respect of candidates recruited through examination, and with reference to the date of Commission's letter recommending the candidates, in respect of those recruited through any other mode of direct recruitment."

4 After Schedule II of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE II-A

[See sub-rule 2(a)(ii) of rule 7]

1. Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service through Union Public Service Commission.

A candidate shall possess :—
Essential :

1. A Degree in Electronic/Electrical Engineering from :—

(i) a University incorporated by an Act of the Central/State Legislature in India, or

(ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or

(iii) possessing such other qualifications as have been recognised by Government for the purpose of admission to the examination, or

(iv) a Degree/Diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges, or Institutions and under such conditions as may be recognised by Government for the purpose from time to time.

Desirable :

2 years professional experience in the line.
Age limits :

Not exceeding 35 years.

(Relaxable for Government servants upto 5 years in acordance with the instructions/orders issued by the Central Government.)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)."

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part-II, Section 3(i), dated 5-11-1981 vide Government notification, Ministry of Information and Broadcasting No. 301/1/81-B(D) GSR 578 (EI) dated 4-11-81 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. 301/1/81-B(D) GSR 573(E) dated 13-9-1982 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i).

(ii) Government notification No. 301/14/85-B(D) GSR 726 dated 6-9-1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).

(iii) Government notification No. 2/4/86-S. III/B(D) GSR 774 dated 17-10-1987 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).

[No. 310/39/86-B(D)]
V. K. ARORA, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

1987 की आर. बी. ई. सं. 259/87

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1987

सा. का. नि. 869. — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 में और आगे संशोधन के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे :—

1. (1) ये नियम रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम, 1987 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"बशर्ते कि खण्ड (1) के अधीन आने वाले किसी मामले में कोई आदेश किए जाने के पूर्व रेल सेवक को, अधिरोपित की जाने वाली शास्ति के लिए अभिवेदन करने का एक अवसर दिया जाए ।

बशर्ते और भी कि इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई, आदेश किए जाने से पूर्व, जहां ऐसा परामर्श किया जाना आवश्यक है, आयोग से परामर्श किया जाएगा ।"

(स. मो. वैश)
सचिव, रेलवे बोर्ड